



कार्यालय, अधिष्ठाता



शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail - deanshahdol@gmail.com

Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG

क्रमांक/.378./स्था./एम.सी./2019

शहडोल, दिनांक 24/04/2019

//सूचना//

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के समस्त चिकित्सा शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि लोकसभा निर्वाचन 2019 की प्रक्रिया के चलते आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक गीष्मकालीन अवकाश उपभोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

गीष्म अवकाश की पात्रता उन्हीं चिकित्सा शिक्षकों को रहेगी जिन्होंने दिनांक 30.04.2018 के पूर्व पद ग्रहण कर लिया था।

आदर्श आचार संहिता के चलते अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश की स्वीकृति/अनुमति सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदाय की जाती है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

24/4/2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/...../स्था./एम.सी./2019

शहडोल,दिनांक/..../2019

प्रतिलिपि :-

1. सभागायुक्त, शहडोल संभाग शहडोल (म.प्र.) की ओर वास्ते सूचनार्थ।
2. समस्त चिकित्सा शिक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) की ओर पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)



कार्यालय, अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)



E-mail - deanshahdol@gmail.com

Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG

क्रमांक/...../स्था./एम.सी./2019

शहडोल, दिनांक .../..../2019

//सूचना//

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के समस्त चिकित्सा शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि लोकसभा निर्वाचन 2019 की प्रक्रिया के चलते आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक गीष्मकालीन अवकाश उपभोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

गीष्म अवकाश की पात्रता उन्हीं चिकित्सा शिक्षकों को रहेगी जिन्होंने दिनांक 30.04.2018 के पूर्व पद ग्रहण कर लिया था।

आदर्श आचार संहिता के चलते अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश की स्वीकृति/अनुमति सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदाय की जाती है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

378-380

पृ.क्रमांक/...../स्था./एम.सी./2019

-sd-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

शहडोल, दिनांक 24/04/2019

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त, शहडोल संभाग शहडोल (म.प्र.) की ओर वास्ते सूचनार्थ।
2. समस्त चिकित्सा शिक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) की ओर पालनार्थ।

MSale
24/4/2019
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)